न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–संजय कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या– 236/2023

विश्वास फाउंडेशन संस्था पंजीकृत कार्यालय 1 डी 13 सुखाडिया नगर श्रीगंगानगर जरिये अध्यक्ष एवं अधिकृत व्यक्ति सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री अन्नतराम जाति अग्रवाल निवासी 1 डी 13 जवाहरनगर सुखाडिया नगर श्रीगंगानगर

——प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थिति ::–

1. श्री रणजीत सारडीवाल अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–10.01.2024

प्राथी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि विश्वास फाउडेशन संस्था पंजीकृत कार्यालय 1 डी 1 3सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर जरिये अध्यक्षएवं अधिकृत व्यक्ति सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री अन्नतराम जाति अग्रवाल निवासी 1 डी 13 जवाहरनगर सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर (राज.) एवं सचिव जयंतनाथ गुप्ता पुत्र श्री आत्मज्ञान जाति अग्रवाल निवासी 33 के ब्लॉक श्रीगंगानगर के नाम से जरिये दस्तावेज दानपत्र अनुज नागपाल पुत्र पूर्णचन्द जाति अरोड़ा निवासी सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर बहैसीयत मुख्त्यारआम मिन जानिब श्री भीमसेंन पुत्र पूर्णचन्द से चक 7 ई. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा नहरी भूमि बिना किसी प्रतिफल के दान स्वरूप प्राप्त की हुई है तथा उक्त रकबा का कब्जा आज तक संस्था के पास बिना किसी विवाद के चला आ रहा है एवं कब्जा एवं स्वामित्व को लेकर कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है तथा ना ही किसी न्यायालय आदि में कोई स्थगन वाद आदि जेरकार है दस्तावेज दानपत्र की नोटेरी प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न दरख्वास्त है। उक्त संस्था के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित से पूर्व में भीमसेंन एवं अनूज नागपाल पिसरान श्री पूर्णचन्द ने जरिये दस्तावेज [illegible] देवी पत्नी श्री रामप्रताप से दिनांक 03.10.1998 को [illegible] रकबा खरीद करके कब्जा प्राप्त किया हुआ है तथा मुताबिक बयनामा [illegible] मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 22/2 में 8 बिस्वा [illegible] पुत्र पूर्णचन्द के नाम से तथा शेष किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा [illegible] भीमसेंन के नाम से खरीद करके कब्जा प्राप्त किया हुआ है यहां पर यह भी उल्लेख किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जाना उचित होगा कि उक्त दस्तावेज बैयनामा दिनांक 03.10.1998का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए सम्बन्धित पटवारी हलका को दस्तावेज उपलब्ध कराने पर तत्कालीन पटवारी हलका द्वारा इस दस्तावेज बैयनामा के आधार पर अनूज नागपाल पुत्र पूर्णचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्तकाल सं. 188 दिनांक 06.05.1999 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया लेकिन भीमसेंन पुत्र पूर्णचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज नही किया गया जिस सम्बन्ध में जमाबंदी खाता संख्या–64 की प्रति संलग्न अवलोकनार्थ है। यहकि संस्था द्वारा उक्त मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा नहरी रकबा (जरिये दस्तावेज दानपत्र दिनांक 16.0.2.2023 के आधार पर प्राप्त) का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए पिछले काफी समय से बार–बार चक्कर लगाए जा रहे है लेकिन आज तक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है अब संस्था को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ उक्त रकबा सहवन से खाता संख्या– 97/93 में बृजभूषण पुत्र कमलनयन वगेरहा के नाम से जमाबंदी में गलत अंकन हो चुका है जबकि वास्तव में उक्त रकबा संस्था के नाम से अंकन होना चाहिए था क्योंकि बृजभूषण पुत्र कमलनयन वगेरहा के नाम से इन्तकाल सं. 155 दिनांक 05.10.1996 को जब भरा गया है उस समय किला नम्बर 22 में 2 बिस्वा रकबा दर्ज है ना कि किला नम्बर 22/2 में रकबा 2 बिस्वा है तथा इसी ईन्तकाल के आधार पर जमाबंदी बनाते समय सहवन से बृजभूषण पुत्र कमलनयन वगेरहा के नाम से अंकन हो चुका है जिसे दुरूस्त किया जाना विधिसम्मत है अन्यथा संस्था के पक्ष में किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से संस्था को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना पैदा हो जावेगी तथा भविष्य में अनावश्यक समय एवं धन की बर्बादी होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी निवेदन है कि चक 7ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा नहरी भूमि का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर संस्था के पक्ष में दस्तावेज दानपत्र के आधार पर अमलदरामद दर्ज करने के लिए पटवारी हलका को शुद्विपत्र भरकर जमाबंदी में रकबा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। भीमसैन पुत्र श्री पूर्ण चन्द द्वारा जरिए बहैसियत मुख्तयार आम जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.02.2023 के चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/61 के मुरब्बा न[illegible] किला नम्बर 22/2 में 2 प्रार्थी के पक्ष में उपहार की गई। उक्त पंजीकृत बैय[illegible] 16.02.2023 में अंकित भूमि प्रार्थी संस्था के [illegible] है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 22/2 में 2 बिस्वा नहरी भूमि का राजस्व रिकार्ड में दुरू[illegible] कर संस्था के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेज दानपत्र के आधार पर अमलदरामद दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने बाबत प्रेषित हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner